भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3451
सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

बेरोजगारी दर

3451. श्री एस. वेंकटेशनः
प्रो. सौगत रायः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मई में कुछ सुधार के बाद जून में बेरोजगारी दर पुनः बढ़कर 7.80 प्रतिशत हो गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीएमआईई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त आंकड़ों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बढ़ती बेरोजगारी दर का माह-वार ब्यौरा क्या है और ग्रामीण भारत में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में देश में सृजित किए गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश दिव्यांग लोग बेरोजगार हैं और यदि हां, तो विशेषकर दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या कृषि और ग्रामीण कामगारों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई बदलाव किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन, अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से है। पीएलएफएस की सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान निम्नानुसार थीः

वर्ष	अखिल भारत (% में)	ग्रामीण (% में)
2018-19	5.8	5.0
2019-20	4.8	3.9
2020-21	4.2	3.3

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़ें, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। पीएलएफएस मासिक आंकड़ें जारी नहीं करता है।

पिछले तीन वर्षों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं ,को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। एमजीएनआरईजीएस के तहत 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने दिनांक 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से, 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

सरकार ने ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए एक कार्यक्रम लागू किया है, जो मजदूरी रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इसके साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, सबके लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

(च): एमओएसपीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 76वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2018) के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों (आयु 15 वर्ष और उससे अधिक) के बीच बेरोजगारी दर 3.3% थी।

(छ): तकनीकी सलाहकार समिति ने, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत आधार वर्ष में संशोधन कर आधार वर्ष 1986-87 की तुलना में आधार वर्ष 2019 को लिया है तथा वर्तमान श्रृंखला में 20 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में और 34 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने की मंजूरी दे दी है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 08.08.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	54.8	55.5	58.6
अरुणाचल प्रदेश	40.9	44.3	48.5
असम	43.4	43.2	50.5
बिहार	36.4	39.7	39.9
छत्तीसगढ	61.2	65.4	63.6
दिल्ली	44.5	43.3	42.7
गोवा	45.9	47.3	43.4
गुजरात	49.7	54.7	55
हरियाणा	41.9	42.9	44
हिमाचल प्रदेश	63.9	70.5	69.5
झारखंड	44.9	53.6	59.6
कर्नाटक	49.3	53.1	55.3
केरल	44.9	45.3	46.1
मध्य प्रदेश	52.3	57.7	60.2
महाराष्ट्र	50.6	55.7	53.9
मणिपुर	44.3	45.5	41
मेघालय	61.8	58.6	62
मिजोरम	45.6	50.7	54.5
नागालैंड	38.1	44.8	49.5
ओड़िशा	47.6	51.9	53.5
पंजाब	44.2	47.8	47.2
राजस्थान	50.0	55.0	55.3
सिक्किम	61.1	68.8	71.3
तमिलनाडु	51.4	55.3	56.9
तेलंगाना	50.6	55.7	57.8
त्रिपुरा	41.9	49.6	53.8
उत्तराखंड	41.4	49.5	48.7
उत्तर प्रदेश	40.8	45.1	48
पश्चिम बंगाल	49.7	49.7	53
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49.1	49.8	58.2
चंडीगढ़	47.3	45.5	43.1
दादरा और नगर हवेली	68.6	72.2	54.0
दमन और दीव	55.1	64.5	
जम्मू और कश्मीर	52.9	52.5	55.5
लद्दाख	-	62.7	69.1
लक्षद्वीप	29.5	48.0	40.1
पुडुचेरी	47.8	47.7	48.1
अखिल भारत	**47.3**	**50.9**	**52.6**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई